

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 20/2024-25

क्रमांक : एफ 7(10) परीक्षा/A. P./Med. Edu./EP-I/2022-23 /2/2

दिनांक : 10.02.2025


आयोग के वि.सं. 18/Exam/A.P./Med. Edu./RPSC/EP-I/2024-25 दिनांक 22.10.2024 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए सहायक आचार्य (Assistant Professor) के विभिन्न 09 विशिष्टताओं के कुल 15 पद विज्ञापित किये गये थे। विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार Nuclear Medicine एवं Endocrinology विशिष्टताओं के पदों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि (क्रमशः 1+1=2 एवं 3+7=10) किये जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य (Assistant Professor) की उक्त 02 विशिष्टताओं के क्रमशः 02 एवं 10 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पुनः आमंत्रित किये जाते हैं तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

1. विभाग से प्राप्त कुल पदों की संख्या व नवीनतम वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

Name of Post	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.					
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV		
ASSISTANT PROFESSOR (Broad Speciality)																											
Nuclear Medicine	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. – (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H.- (iii) (OL, LC, DW, AAV)-01 (Backlog year 2019-20), (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.- 0																											
ASSISTANT PROFESSOR (Super Speciality)																											
Endocrinology	10	2	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. – (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H.- (iii) (OL, BL, LC, DW, AAV)-01 (Backlog year 2019-20), (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.- 0																											
Abbreviations Used: GEN – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, OL-One Leg, BL-Both Leg, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicaped.																											

2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।
Note: ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।
4. उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 18/2024-25 दिनांक 22.10.2024 के अन्तर्गत पदों के वर्गीकरण से संबंधित तालिका में Abbreviations Used के अन्तर्गत उल्लेखित टिप्पणी "एकाधिक दिव्यांगता (Multiple Disability) श्रेणी के लिए कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.08.2019 में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (अ) एवं (ब) की अनिवार्यता के साथ (स) अथवा (द)(1) में वर्णित कोई एक दिव्यांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।" को विलोपित किया जाता है।
5. उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी दिनांक 12.02.2025 से दिनांक 21.02.2025 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
6. सहायक आचार्य की Nuclear Medicine विशिष्टता हेतु जारी किये गये विज्ञापन दिनांक 22.10.2024 में उक्त पद हेतु आवश्यक अनुभव 'One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college after acquiring MD/MS Degree.' के स्थान पर विभाग से प्राप्त पत्रानुसार 'One year as Senior Resident in Nuclear Medicine in a recognized/permitted medical college after acquiring MD/DNB Degree.' प्रतिस्थापित किया जाता है।

7. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 18/2024-25 दिनांक 22.10.2024 के तहत ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। तथापि पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।
 8. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 18/2024-25 दिनांक 22.10.2024 के तहत ऑनलाईन आवेदन किया था परन्तु वांछित शैक्षणिक योग्यता, वर्ग इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्हें "Editing as per corrigendum point No. 8 Option" में Yes विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र माना जायेगा।
 9. इस शुद्धि पत्र के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु की गणना नियमानुसार दिनांक 01.01.2026 को आधार मानकर की जायेगी।
 10. विज्ञापन में अंकित आयु सीमा में छूट के प्रावधानों के बिन्दु संख्या 7 के पश्चात् नवीन बिन्दु निम्नानुसार जोड़े जाते हैं:-
 - 7(A) The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in substantive capacity will be 40 years.
 - 7(B) The upper age limit mentioned in sub-rule (1) of Rule 11 of Rules, 1962, in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age-limit shall be 40 years except for post(s) requiring minimum qualification of D.M./M.Ch. for which the upper age limit shall be 45 years.
- नोट:- आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधान विज्ञापित पदों की सभी विशिष्टताओं पर लागू होंगे।
11. विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार यथावत् रहेगी।


10/2/25
(रामनिवास मेहता)
सचिव